वित्त निर्देश 08/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 61/सी-30454/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 14.03.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध की स्थिति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता।

संदर्भ:-**1.**सामान्य प्रशासान विभाग का ज्ञापन कमांक 25/97/1/वेआप्र/98 दिनांक 11/13 जनवरी 1999

2.चिकित्सा शिक्षा विभाग का ज्ञापन कमांक एफ.1.24-98/55/ चि.शि. एक दिनांक 2.9.1998 एवं 5.7.1999/ 15.7.1999 एवं ज्ञापन कमांक एफ. 2-19/2000/55/ चिशि/1 दिनांक 15.9.2000

3.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का ज्ञापन कमांक एफ 1-9/98/17/मेडि-1 दिनांक 8.3.2000/20.4.2000

राज्य शासन के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध एवं अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत संदर्भित निर्देशों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु निजी प्रेक्टिस केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी एवं नर्सिंग होम या प्रायवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

2. चिकित्सा शिक्षकों पर निजी प्रेक्टिस का प्रतिबंध रहेगा किन्तु उन्हें निम्न शर्तो के अधीन निजी प्रेक्टिस करने की छूट दी जा सकेगी -

(अ) चिकित्सा शिक्षक अपने कर्तव्य अवधि के पश्चात् निजी प्रेक्टिस कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें लिखित में महाविद्यालय के अधिष्ठाता को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ब) चिकित्सा शिक्षक को अपने कर्तव्य अवधि में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहना होगा। कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(स) आपात स्थिति में या आवश्यकता होने पर उन्हें किसी भी समय कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना होगा।

(द) उन्हें अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3. चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक की नियुक्ति प्रशासकीय पद पर होने पर उसे निजी प्रेक्टिस की छूट नहीं रहेगी। इसमें संचालक, अधिष्ठाता, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र तथा जिला स्तर के प्रोग्राम अधिकारी सम्मिलित हैं।

4. प्रशासकीय अधिकारी एवं ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिन्होंने निजी प्रेक्टिस करने की छूट नहीं प्राप्त की हैं, अव्यवसायिक भत्ता के पात्र होंगे।

5. अव्यवसायिक भत्ता की दर मूल वेतन के 25% के समान होगी। 'मूल वेतन' से तात्पर्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में आहरित बैंड वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन से होगा किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन/विशेष वेतन शामिल नहीं होगा।

6. अव्यवसायिक भत्ता महंगाई की गणना हेतु मूल वेतन का भाग माना जाएगा।

7. अव्यवसायक भत्ता सेवानिवृत्ति परिलाभों की गणना हेतु भी मूल वेतन का भाग माना जाएगा बशर्ते कि पूरे सेवाकाल में कम से कम 5 वर्ष तक यह भत्ता प्राप्त हुआ हो।

8. अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता उन चिकित्सा पदों तक सीमित होगी जिनके लिये आवश्यक योग्यता इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 अथवा डेन्टिस्टस एक्ट 1948 के अंतर्गत प्राधिकृत चिकित्सा उपाधि है।

9. पुनरीक्षित दर से अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता उस तिथि से होगी जिस तिथि से शासकीय सेवक द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन आहरित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

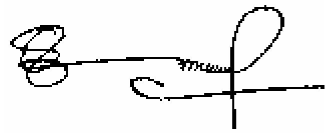

(आर. एस. विश्वकर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 62/सी-30454/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर, दिनांक 14.03.2011

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग